भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3685
बुधवार, 5 अप्रैल, 2023 (15 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारिता के विषय पर राज्यों द्वारा विधान

3685 डा. फौजिया खानः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सहकारिता का विषय राज्य सूची में है और केंद्र सरकार ने इस मंत्रालय की स्थापना करके राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है; और

(ख) क्या राज्य अपने संबंधित राज्यों में सहकारिता से संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर कानून बना सकते हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी नहीं, महोदया । केन्द्रीय सरकार ने नई सहकारिता मंत्रालय स्थापित करके सहकारिता के विषय पर राज्यों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं किया है । सहकारिता मंत्रालय को अन्य बातों के साथ-साथ "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने, सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करने, सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को प्रोत्साहित करने जिसमें देश के विकास के लिए इसके सदस्यों में जिम्मेदारी की भावना शामिल है, सहकारी समितियों को अपनी क्षमता प्राप्त करने में सहायक उपयुक्त नीति, विधिक व संस्थागत संरचना का निर्माण के अधिदेश के साथ स्थापित किया गया है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सभी हितधारकों के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है ।

सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित नहीं हैं, वे संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 44 द्वारा और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, 2002 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं । सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित होते हैं, वे संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची – सूची II की प्रविष्टि 32 द्वारा और संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं । "बैंकिंग" का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची – सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा शासित होता है ।

*****